तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 147/2022 बउनवान हरीसिंह वगैरह बनाम भंवराराम वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी– श्री नवनीत कुमार, आई. ए. एस.

–:आदेश:–

दिनांक 27.10.2025

उपस्थितिः–

1. अपीलांटगण की तरफ से अधिवक्ता श्री विष्णु चौधरी।
2. रेस्पों. संख्या 1 से 3 की तरफ से अधिवक्ता श्री सुनील के. मेराजा।
3. शेष रेस्पों. अनुपस्थित।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांटगण ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पों. द्वारा एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का मौजा बाड़मेर आगोर, तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 1082 (वर्तमान खसरा संख्या 3564/1082, 3665/1082, 3923/1082) कुल रकबा 19 बीघा 08 बिस्वा भूमि प्रस्तुत किया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/रेस्पों. के पक्ष में न्यायाहित में दिनांक 22.02.2022 को स्थगन आदेश पारित किया था। जो समस्त विधिक तथ्यों की जांच करते हुए पारित किया गया था। क्योंकि हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी पर वक्त सेटलमेंट से ही प्रार्थीगण के पूर्वज भूरसिंह पुत्र सबलसिंह के अकेले का आवगा कब्जा–काश्त रहा है। भूरसिंह द्वारा ही वक्त सेटलमेंट से ही पर्चा लगान का खर्चा वहन किया गया था वह इनके नाम से ही पैमाईश करवाई गई थी। परन्तु जब सेटलमेंट अधिकारियों ने उक्त भूमि का पर्चा लगान जारी किया तब भूलवश प्रार्थीगण के पूर्वज भूरसिंह पुत्र सबलसिंह के स्थान पर राणा वल्द लच्छा कौम मेघवाल का नाम दर्ज करते हुए पर्चा लगान जारी कर दिया। जबकि हस्तगत वादग्रस्त आराजी के खसरा संख्या 1082 पर रेस्पों. का कभी भी कब्जा नहीं रहा है। सेटलमेंट अधिकारियों ने गलती से उक्त खसरे का पर्चा लगान रेस्पों. के नाम से जारी कर दिया। हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी पर राणा वल्द लच्छा का कभी भी कब्जा–काश्त नहीं रहा। उक्त आराजी पर भूरसिंह का व उनके फौत होने पर प्रार्थीगण का निर्बाध रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलाधीन आदेश की आड़ में वर्तमान में रेस्पों. द्वारा अपने उक्त राजस्व रेकार्ड का नाजायज फायदा उठाते हुए हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी को खुर्द–बुर्द करने की धमकी दी जा रही है। रेस्पोडेंटगण अपीलाधीन निर्णय की अपीलाधीन आराजी से जबरन बेदखल करने पर प्रयासरत हैं तथा रेस्पोडेंटगण द्वारा अपीलांटगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप किया जा रहा है जिससे अपीलांट को भारी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में किया जाना सम्भव नहीं है। मामला प्रथम दृष्टया एवं

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

सुविधा का संतुलन अपीलांटगण के पक्ष में हैं। अतः अपीलांटस की अपील को स्वीकार फरमाया जावे।

रेस्पोडेंटस अधिवक्ता ने अपील पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/प्रार्थी को पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के बाद उभयपक्ष की बहस सुनकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो विधि सम्मत है। हस्तगत वादग्रस्त आराजी का मूल खसरा 1082 वक्त सेटलमेंट से रेस्पों. के पूर्वज राणा पुत्र लच्छा के नाम से दर्ज था। राणा के देहान्त उपरान्त उनके प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान में उनके इकलौते पुत्र भंवराराम पुत्र राणाराम का नाम बतोर खातेदार दर्ज किया गया था। जिसके उपरान्त मूल खसरा संख्या 1082 के टुकड़े हो गये जिसमें खसरा संख्या 3564/1082 जो रेस्पों. संख्या 1 भंवराराम के बड़े पुत्र हरीश के नाम दर्ज है। साथ ही खसरा संख्या 3923/1082 भंवराराम के छोटे पुत्र प्रेमप्रकाश के नाम दर्ज है व खसरा संख्या 3565/1082 स्वयं भंवराराम के नाम दर्ज है। खसरा संख्या 3565/1082 जो वर्तमान में दो भागों में विभक्त है जिसके वर्तमान खसरा संख्या 4400/3565 जो रेस्पों. भंवराराम व खसरा संख्या 4399/3565 जो प्रेमप्रकाश के नाम दर्ज है। उक्त आराजी पर वक्त सेटलमेंट से आज दिन तक रेस्पों. की पैतृक पुस्तेनी भूमि रही है। जिस संबंध में अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में झूठे व मनगढ़त तथ्यों के आधार पर अपील प्रस्तुत की है। हस्तगत आराजी पर अपीलांट का कभी भी कोई कब्जा–काश्त नहीं रहा है। अपीलांट/प्रार्थी द्वारा आज दिनांक तक सेटलमेंट के अंकन को चुनौती नहीं दी गई है। अपीलांट द्वारा मनगढंत तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत किया। जिसमें अपीलांट को सफलता मिलने की कोई संभावना नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित इस प्रकार के आदेश से प्रार्थी किस प्रकार प्रतिकूल रूप से प्रभावित है यह अपील में कहीं भी स्पष्ट नहीं है। रेस्पों. हस्तगत प्रकरण का संयुक्त रेकार्डेड खातेदार है। रेकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश बिना किसी कारण के जारी नहीं किया जा सकता है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन रेस्पोडेंटस के पक्ष में है। अतः अपीलांटगण की अपील को खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनने एवं पत्रावली व वकील रेस्पों. द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का का अवलोकन करने पर पाया कि हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के प्रार्थना–पत्र में पारित आदेश के विरूद्ध पेश की गई। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उभयपक्षकारान के हकों का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण पर ही संभव है। मूल दावे के विचारण में रहते अपील के स्तर पर अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। हाजा न्यायालय की राय में रेकार्डेड खातेदार को स्थगन आदेश से पाबंद किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत प्रतीत होता है जिसमें प्रथम दृष्टया कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की हस्तगत अपील खारिज करने योग्य ठहरती है।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

लिहाजा अपीलांटगण द्वारा पेश अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। उक्तानुसार पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे। आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही हेतु दाखिल दफ्तर हो।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर